(2)

. तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पपाराम बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 18/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.03.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी पप्पाराम परिहार पुत्र घेवरराम पता पाटिया बेरा, बालरवा गावं पोस्ट बालरवा तहसील तिवरीं जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.12.17 में उसके द्वारा (1) प्रभारी अधिकारी महोदय जी सतकर्ता शाखा में दर्ज लोकायुक्त प्रकरण संख्या एफ11(422)/2017 बालरवा में खसरा संख्या 499/10 गै.मु. रास्ता आवंटन फाईल की सम्पूर्ण नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 237 दिनांक 27.02.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम प्रार्थना–पत्र में वर्णित सूचना 23 पृष्ठीय होने से 46/–रूपये जमा कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक 12 दिनांक 05.01.18 लिखा गया। अपीलार्थी ने जरिये रसीद संख्या 56/33 दिनांक 15.01.18 को 43/– जमा करा दी गई थी, परन्तु रसीद की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 05.02.18 को प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र संख्या 95 दिनांक 05.02.18 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	